न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

...सं. 128/2022
...सीएमएस : 2022/373
1. जसदीपकौर पत्नी री गुरप्रतापसिंह जाति जटसिख साकिन 18 पी.टी.डी.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
—:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, सूरतगढ़ ब्रांच श्रीविजयनगर।
—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. व 125—136 एलआरएक्ट

तारीख रजू 22.06.2022

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार।

—: निर्णय :— दिनांक : 19.05.2025

...क्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की वाके चक 9 एल.पी.एम.ए. तहसील ...रायसिंहनगर के पत्थर नं. 280/362 मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 1/2 ता 10/2, ...5/2, 16/2, व 25/2 की कुल खाता योग 2.530 है. खातेदारी दर्ज राजस्व ...रेकार्ड हैं। वादीया के उक्त रकबा की सिंचाई के लिये स्वीकृत चालू खाला वादीया ...के वर्णित रकबा के कि.नं. 5—6—15—16 व 25 में है और वादीया ने बेहतर सिंचाई ...के किला नं. 6 मे टयूबैल लगा रखा है। प्रतिवादी सं. 2 सिंचाई विभाग के रिकार्ड ...में वादीया के वर्णित रकबा के किला नं. 1 ता 5 कोई खाला स्वीकृतशुद्वा नही है न ...ही कभी चालू रहा है न ही एक मुरब्बा में दो खाले विधिनुसार व नियमानुसार ...स्वीकृत किये जा सकते है। बल्कि उकत रकबा काश्त योग्य होने से काश्त किया ...जा रहा है जिस पर मौका पर वादीया की फसल बीजी हुई व खड़ी है। मगर ...राजस्व अभिलेखों में वादीया के रकबा के कि.नं. 1/3 में 0.026 है. खाला, 2/2 में ...0.025 है. खाला, 3/2 में 0.025 है. खाला 4/2 में 0.025 है. खाला व 5/2 में 0. ...051 है. खाला सहबन, त्रुटीवश गलत दर्ज कर दिया गया है जो मानवीय भूल है। ...इसलिये वादिया राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी में हुई उक्त गलती को दुरूस्त करवा ...पाने व घोषणा करवा पाने की विधिक अधिकारिणी है। वादिया को रिकार्ड में हुई ...उक्त अशुद्वि व गलती का ज्ञान होने के पश्चात वादीया प्रतिवादीगण से निरन्तर ...अनुरोध किया गया कि वे राजस्व रिकार्ड में हुई गलत अशुद्वि, मानवीय भलूवश हुई ...गलती को दूर करते हुये राजस्व रिकार्ड में वादीया के रकबा कि.नं. 1/3 में 0.026 ...है. खाला, 2/2 में 0.025 है. खाला, 3/2 में 0.025 है. खाला 4/2 में 0.025 है. ...खाला व 5/2 में 0.051 है. के अंकन विलोपित करते हुये कि.नं. 1/2 ता 5/2 के ...स्थान पर कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक 0.0253 है. 5/1 में 0.0226 है. काश्त योग्य भूमि के ...रूप में व 5/2 की 0.025 है. खाला के रूप में वादीया के खातेदारी अधिकारों को ...स्वीकार करते हुये रिकार्ड में दुरूस्ती करते हुये तदानुसार अमलदरामद करे तो ...प्रतिवादीगण बमुकाम रायसिंहनगर में दिनांक 18.06.2022 को यह कहकर दुरूस्ती ...करने से इंकार कर दिया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ही दुरूस्ती की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:25:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

सकती है यही तारीख पैदा होने बिनाय दावा बिनाये मुखारमत है वादीया के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने अलावा अन्य कोई चारा शेष नही रहा है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है अतः वाद वादीया पेश कर निवेदन है कि वाद वादीया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे। कि विवादित रकबा वाके चक 9 एल.पी.एम.ए तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नं. 280/362 मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 है, 5/1 की 0.228 है., 5/2 की 0.025 है. वादिया के खातेदारी हक-हकूक व अधिकार घोषित किये जावे। साथ यह भी घोषित किया जावे कि वादिया के उपरोक्त रकबा के कि. नं. 1/3 में 0.026 है. खाला, 2/2 में 0.025 है. खाला, 3/2 में 0.025 है. खाला, 4/2 में 0.025 है. खाला व 5/2 में 0.051 है. खाला स्वीकृत नहीं है ना ही मौका पर चल रहा है, खाला के अंकन विलोपित कर वादीया अपने नाम से नहरी भूमि के रूप में समायोजित करवा दर्ज करवा पाने की अधिकारीनी है। घोषणात्मक डिक्री अनुसार जमाबंदी व राजस्व अभिलेखों में वाके चक 9 एल.पी.एम.ए. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नं. 280/362 मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 1/3 में 0.026 है. खाला, 2/2 में 0.025 है. खाला, 3/2 में 0.025 है. खाला, 4/2 में 0.025 है. खाला व 5/2 में 0.051 है. खाला अंकन विलोपित करवाते हुये कृषि भूमि के रूप में वाके चक 9 एल.पी.एम.ए. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 280/362 मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 है. 5/1 की 0.228 है., 5/2 की 0.025 है. नहरी वादीया के खाता में समायोजन कर दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं. 1 को फरमावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से सहायक अभियन्ता जल संसाधन बिलौचिया उपखण्ड श्री विजयनगर ने जवाब के रूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि चक 9 एलपीएम ए के मु.नं. 280/362 का जिलेदार एवं पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त मुरब्बा में सिंचाई हेतु स्वीकृत नाका कि.नं. 25 में बना हुआ है। सरकारी खाला कि.नं. 5-6-15-16-25 में ही चल रहा है। सीएडी चक प्लान के अनुसार मु.नं. 280/362 में एक मात्र खाला 5-6-15-16-25 में ही चल रहा है तथा कि.नं. 1-10-11-20-21 में सरकारी रास्ता स्वीकृत है। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/79 दिनांक 13.02.2025 से अवगत करवाया है कि चक 9 एलपीएम ए के पं.नं. 280/362 मु.नं. 27 के कि.नं. 1/3/0.026, 2/2/0.025, 3/2/0.025, 4/2/0.025, 5/2/0.051 में दर्ज रिकार्ड खाला जो मौका पर चालू नहीं है उक्त दर्ज रिकार्ड खाला की भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज करने के प्रकरण में मौका/रिकार्ड जांच रिपोर्ट चाही गई। उक्त प्रकरण के संबंध में मुताबिक रिपोर्ट 9 एलपीएम ए पं. नं. 280/362 के मु.नं. 27 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में दो-दो बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौका पर खाला चालू नहीं है एवं इसी मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 5-6-15-16-25 में प्रत्येक में दो-दो बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है जो मौका पर चल रहा है तथा इसी मु.नं. 27 के कि.नं. 21 ता 25 में भी मौके पर पक्का खाला बना हुआ है तथा चालू है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

3. वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित बिन्दू अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट व सहायक अभियंता जल संसाधन बिलौचिया उपखण्ड रायसिंहनगर की जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:25:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

रिपोर्ट के आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136—125 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के चक 9 एलपीएम ए के पं.नं. 280/362 मु.नं. 27 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में दो—दो बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौके पर चालू नही है को विलोपित करते हुए इस रकबे को वादिया के रकबा में दर्ज किया जावे व इसी मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 21 ता 25 में मौके पर पक्का खाला बना हुआ है तथा चालू है को राजस्व रिकार्ड में खाला का रकबा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते है पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:25:40 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner